Regarding implementation of 74th Amendment to strengthen urban local bodies in Uttar Pradesh

श्री प्रवीण पटेल **(**फूलपुर**) :** माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मुझे आपके माध्यम से अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 368 के अंतर्गत, संविधान का 74 वां संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा - 2 द्वारा भाग - 9 (क), अनुच्छेद - 243 (त) से अनुच्छेद - 243 (ह), 1992 में भारत देश के नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 74 वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोक सभा में पारित किया गया, जिसके उपरांत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल और बंगाल आदि बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं, जिसमें 74 वां संशोधन पूरी तरह से लागू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह संशोधन आंशिक रूप से ही लागू हो पाया ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी 74 वां संशोधन पूरी तरह से लागू किया जाए, जिससे वहां पर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली और मजबूत हो सके । आय के स्रोत भी बढ़ जाएं, नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ जाए, नगर निगम के महापौरों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त हो तथा उन्हें वेतन, भत्ता भी मिल सके ।

उत्तर प्रदेश में 74 वां संशोधन लागू होने के उपरांत लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर हुई है । नगर निगम के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, जन-प्रतिनिधियों को जन-प्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त नहीं है और उन्हें वेतन भत्ता भी नहीं मिलता है । आपसे निवेदन है कि इन तथ्यों को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में जिन राज्यों में 74 वां संशोधन लागू है, उन राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए 74 वां संशोधन पूर्ण तरीके से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए । मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति **:** श्री अशोक कुमार रावत - उपस्थित नहीं ।

श्री यूसुफ पठान जी ।